न्यायालय श्रीमान म0प्र0राजस्व मण्डल ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा (म0प्र0)

(139)

R. 3316-II/14

जमुना प्रसाद गुप्ता तनय सीताराम गुप्ता साकिन चुरहट, तहसील चुरहट, जिला सीधी(म.प्र.) ----निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

1.रावेन्द्रमणि पाण्डेय तनय अवधकिशोर पाण्डेय, साकिन चुरहट, तहसील चुरहट, जिला सीधी(म.प्र.)

2.शासन म0प्र0 ---गैरनिगरानीकर्तागण

507
27.8.14

क्रमांक 3046
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक ______ को प्राप्त
... कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार तहसील चुरहट जिला सीधी के प्र.क्र.-19/अ-12/2013-14 आदेश दिनांक 08/07/2014 अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959ई0

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैः-

प्रत्यर्थी क्र0-1 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आ0नं0-22रकवा0.030 हे0स्थित ग्राम रमकुडवा, प0ह0 चुरहट, रा0नि0मं0 चुरहट जिला सीधी सीमांकन बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें न तो सरहद्दी कास्तकारो को पक्षकार बनाया गया और न ही सीमांकन प्रकरण की समंन्स सूचना ही विचारण न्यायालय द्वारा जारी की गई, जब पटवारी व राजस्व निरक्षक आ0नं0-22 के सीमांकन बावत मौके पर गये तो निगरानीकर्ता को गॉव के लोगो के द्वारा सूचना दी गई निगरानीकर्ता मौके पर जाकर आपत्ति किया तथा निवेदन किया कि निगरानीकर्ता की आराजी नम्बर 214/1 स्थित ग्राम दादर जो अराजी नं0-22 की सरहद्दी आराजी है व आ0नं0 214/1 पर निगरानीकर्ता का माकान बना है जिसमें आटा चक्की स्थापित हैं, मौके पर उपस्थित पटवारी रमकुडवा एवं और दो तीन लोग खडे थे स्थानीय लोगो द्वारा बताया गया कि निगरानीकर्ता हस्ताक्षर कर दे व अपनी आपत्ति विचारण न्यालालय के समक्ष प्रस्तुत करे। निगरानीकर्ता ने स्थानीय लोगो के कहे अनुसार इस विश्वास के

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 3316–दो/14 जिला – सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–6–17	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार चुरहट जिला सीधी के प्रकरण कमांक 19/अ–12/13–14 में पारित आदेश दिनांक 8–7–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में प्रकरण में उपलब्ध आदेश की प्रति एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा तहसीलदार के समक्ष सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर सरहदी कृषकों को सूचना देने के पश्चात सीमांकन किया है। आवेदक सहित अन्य सरहदी कास्तकारों के हस्ताक्षर अंकित है। आवेदक द्वारा तहसीलदार के राजस्व निरीक्षक के समक्ष आवेदकगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई जिसपर उन्हें सुनवाई का अवसर देने के उपरांत तहसीलदार ने आदेश दिनांक 08–7–14 को आवेदक की आपत्ति पर सकारण आदेश पारित कर निरस्त किया तथा सीमांकन की पुष्टि की है। तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही में प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नही होती है। सीमांकन से स्वत्व प्राप्त नहीं	

होते हैं केवल सीमाओं का ज्ञान होता है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एस0एस0 अली)
सदस्य